Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

अध्यक्ष शिव नन्दी गौशाला आदि बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आदि

किस्म मुकदमा– अपील अंतर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 99/2023 जीसीएमएस प्र0स0– 2023/99

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या 3 उपस्थित। वकील रेस्पोडेंट संख्या 3 ने प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में जैरकार प्रकरण संख्या एसबी सिविल रिट पेटीशन संख्या 8700/2023 अनवान सत्यनारायण आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 की प्रति पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या 3 ने निवेदन किया कि उक्त अपील में अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी निर्णय का अंकन नहीं है तथा ना ही किसी निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न पत्रावली है। इसलिए अपील अपीलांट श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज की जावे। वकील अपीलांट ने उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का नकल फार्म खारिज किया गया जिसकी प्रति अपील के संलग्न पेश की हुई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है तथा ना ही अपील में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करवाने के तथ्य दर्ज करवाये है। मात्र अपीलांट के द्वारा नजरी नक्शा के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई जो श्रवण योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट श्रवण योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (कन्हैयालाल सोनगरा) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ (जिला श्री गंगानगर) Signature Not Verified Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara Date: 2024.10.28 12:39:27 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner